



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan

N.H.By-pass

P.B.No. 2277

Palarivattom P.O.

Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन.एच.बाईपास

पी.बी.नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्ची - 682 025, भारत

12th October 2026

CIRCULAR:02/2026-27

Sub : Pre-shipment testing and clearance for Aflatoxin for export of Chilli whole to Sri Lanka - reg

Ref : (i) Board's circular No.24/2022-23 dated 23rd March 2023

(ii) Board's circular No.05/2025-26 dt. 28th August 2025

- - - - -

Attention is invited to the Board's circular (Ref ii) bringing to the notice of all exporters of spices and spice products, about Sri Lanka Standard Specification for Chilli whole and ground (Sri Lanka Standard 1563: 2017), which governs export of chilli and chilli products to Sri Lanka.

Further in line with the above standards, Spices Board has made the necessary changes in the quality management system for export, by implementing revised aflatoxin compliance requirements for chilli and chilli products, prescribing a maximum limit of 5.0 µg/kg for aflatoxin B1 and 10.0 µg/kg for total aflatoxin.

Accordingly, in partial modification of the circular issued vide reference (1), consignments of **chilli whole and chilli products (including curry powder & masalas containing chilli)** intended for export to Sri Lanka shall be subjected to pre-shipment sampling and shall be accompanied by a Cleared Test Report for aflatoxins issued by Spices Board, for further clearance by the Customs Authorities, **with effect from 19th October, 2026**. Also, the facility for clearance of consignments of Chilli whole based on Sample Drawn Certificate shall stand revoked with effect from 19th October, 2026.

All the exporters of Chilli and chilli products under HS Code 0904 to Sri Lanka are hereby directed to plan their shipping schedules accordingly and also to exercise due diligence for ensuring compliance with the above requirements.

This circular is issued under the provisions of the Spices Board Act 1986 & Spices Board (Registration of Exporters) Regulations, 1989 and will come into force from 19th October 2026.

Effect of this circular :

With effect from 19th October 2026,

- (i) Export of chilli whole to Sri Lanka shall be permitted only with the cleared analytical report from Spices Board for compliance with Aflatoxin level (maximum limit of 5.0 µg/kg for aflatoxin B1 and 10.0 µg/kg for total aflatoxin)



- (ii) The present monitoring mechanism for export of chilli whole to Sri Lanka based on Sample Drawn Certificate (SDC) shall be revoked.
- (iii) In the case of chilli powder and chilli products (including curry powder & masalas containing chilli), with regard to Aflatoxin, the prevailing system of permitting exports on the basis of cleared analytical reports will continue, with the application of revised limits (maximum limit of 5.0 µg/kg for aflatoxin B1 and 10.0 µg/kg for total aflatoxin)

Director (Mktg)

To

All Commissioners / Officials concerned of Customs across India: with request to permit export of chilli whole consignments to Sri Lanka from 19th October 2026, only on the basis of cleared analytical report issued by Spices Board.

All Exporters of Spices and Spice Products

All Exporters Associations

//issued from File No. MKTG/CIRC/SH/5/2021-22-Part(1)Computer No 24536//



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी. बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

12 अक्टूबर 2026

परिपत्र : 02/2026-27

विषय : श्रीलंका को साबुत मिर्च के निर्यात के लिए एफ्लाटॉक्सिन की प्रेषण-पूर्व जांच और मंजूरी - बाबत
संदर्भ : (i) बोर्ड का परिपत्र संख्या 24/2022-23 दिनांक 23 मार्च 2023
(ii) बोर्ड का परिपत्र संख्या 02/2025-26 दिनांक 28 अगस्त 2025

बोर्ड के परिपत्र (संदर्भ ii) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातकों को साबुत और पिंसी हुई मिर्च के लिए श्रीलंका मानक विनिर्देश (श्रीलंका मानक 1563: 2017) के बारे में सूचित किया गया है, जो श्रीलंका को मिर्च और मिर्च उत्पादों के निर्यात को नियंत्रित करता है।

उपरोक्त मानकों के अनुरूप, स्पाइसेस बोर्ड ने निर्यात के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक बदलाव किए हैं, जिसके तहत मिर्च और मिर्च उत्पादों के लिए संशोधित एफ्लाटॉक्सिन अनुपालन अपेक्षाओं को लागू किया गया है, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन बी1 के लिए अधिकतम सीमा 5.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम और कुल एफ्लाटॉक्सिन के लिए 10.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम निर्धारित की गई है।

तदनुसार, संदर्भ (1) के तहत जारी परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, श्रीलंका को निर्यात के लिए भेजी जाने वाली साबुत मिर्च और मिर्च उत्पादों (जिसमें मिर्च युक्त करी पाउडर और मसाले शामिल हैं) की खेपों की प्रेषण से पहले नमूना जांच की जाएगी और इसके साथ स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी एफ्लाटॉक्सिन जांच रिपोर्ट संलग्न करनी होगी, ताकि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आगे की मंजूरी दी जा सके। यह प्रक्रिया 19 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी। साथ ही, नमूना प्रमाण पत्र के आधार पर साबुत मिर्च की खेपों की मंजूरी की सुविधा भी 19 अक्टूबर, 2026 से रद्द कर दी जाएगी।

एचएस कोड 0904 के अंतर्गत श्रीलंका को मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने शिपिंग सारणी की योजना तदनुसार बनाएं और उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतें।

यह परिपत्र स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है और यह 19 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

इस परिपत्र का प्रभाव:

19 अक्टूबर 2026 से प्रभावी,

- श्रीलंका को साबुत मिर्च का निर्यात केवल स्पाइसेस बोर्ड से एफ्लाटॉक्सिन स्तर (एफ्लाटॉक्सिन बी1 के लिए अधिकतम सीमा 5.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम और कुल एफ्लाटॉक्सिन के लिए 10.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम) के अनुपालन के लिए स्वीकृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के साथ ही अनुमत होगा।
- श्रीलंका को साबुत मिर्च के निर्यात के लिए नमूना तैयार प्रमाण पत्र (एसडीसी) पर आधारित वर्तमान निगरानी तंत्र को रद्द किया जाएगा।

- iii. मिर्च पाउडर और मिर्च उत्पादों (जिसमें मिर्च युक्त करी पाउडर और मसाले शामिल हैं) के मामले में, एफ्लाटॉक्सिन के संबंध में, स्वीकृत विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के आधार पर निर्यात की अनुमति देने की प्रचलित प्रणाली संशोधित सीमाओं (एफ्लाटॉक्सिन बी1 के लिए अधिकतम सीमा 5.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम और कुल एफ्लाटॉक्सिन के लिए 10.0 माइक्रोग्राम/किलोग्राम) के आवेदन के साथ जारी रहेगी।



निदेशक (विपणन)

सेवा में,

भारत भर के सीमा शुल्क के सभी संबंधित आयुक्तों/अधिकारियों: अनुरोध है कि वे 19 अक्टूबर 2026 से केवल स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी की गई स्वीकृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर श्रीलंका को साबुत मिर्च की खेप के निर्यात की अनुमति दें।

मसालों और मसाला उत्पादों के सभी निर्यातक

सभी निर्यातक संघ